



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1269/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06

दिनांक : 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री राकेश कुमार, सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०), (सातवें वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल-11) को अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) (सातवें वेतनमान रू० 67,700-2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री राकेश कुमार की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बतायें अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री राकेश कुमार को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री राकेश कुमार द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री राकेश कुमार द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री राकेश कुमार वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से कार्यभार प्रमाणक हस्ताक्षरित कराकर अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निवर्हन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक


पत्रांक: 1269/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यैक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1270 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-06

दिनांक : 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री नवीन प्रसाद, सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०), (सातवें वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल-11) को अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) (सातवें वेतनमान रू० 67,700-2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री नवीन प्रसाद की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बतायें अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री नवीन प्रसाद रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री नवीन प्रसाद को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री नवीन प्रसाद द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री नवीन प्रसाद द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री नवीन प्रसाद वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से कार्यभार प्रमाणक हस्ताक्षरित कराकर अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निवर्हन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1270 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-06 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यैक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1271 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-06

दिनांक : 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०), (सातवें वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल-11) को अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) (सातवें वेतनमान रू० 67,700-2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री अशोक कुमार की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बताये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री अशोक कुमार को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री अशोक कुमार द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री अशोक कुमार द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री अशोक कुमार वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से कार्यभार प्रमाणक हस्ताक्षरित कराकर अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निवर्हन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1271 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-06 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यैक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1272/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06

दिनांक : 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री मनीष कुमार टम्टा, सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०), (सातवें वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल-11) को अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) (सातवें वेतनमान रू० 67,700-2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री मनीष कुमार टम्टा की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बताये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार टम्टा रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री मनीष कुमार टम्टा को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री मनीष कुमार टम्टा द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री मनीष कुमार टम्टा द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री मनीष कुमार टम्टा वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से कार्यभार प्रमाणक हस्ताक्षरित कराकर अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निवर्हन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक


पत्रांक: 1272/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06 तद दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यैक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।

(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1273/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06

दिनांक : 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री राजबीर सिंह, सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०), (सातवें वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल-11) को अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) (सातवें वेतनमान रू० 67,700-2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री राजबीर सिंह की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बताये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री राजबीर सिंह रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री राजबीर सिंह को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री राजबीर सिंह द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री राजबीर सिंह द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री राजबीर सिंह वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से कार्यभार प्रमाणक हस्ताक्षरित कराकर अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निवर्हन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1273/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/परिचालन/परियोजना/वित्त, पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1274/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06

दिनांक : 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री ब्रह्म पाल, सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०), (सातवें वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल-11) को अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) (सातवें वेतनमान रू० 67,700-2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री ब्रह्म पाल की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बताये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री ब्रह्म पाल रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री ब्रह्म पाल को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री ब्रह्म पाल द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री ब्रह्म पाल द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री ब्रह्म पाल वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से कार्यभार प्रमाणक हस्ताक्षरित कराकर अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निवर्हन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक


पत्रांक: 1274/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06 तद दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यैक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।


(अनुषम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1275/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06

दिनांक : 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री आजाद सिंह, सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०), (सातवें वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल-11) को अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) (सातवें वेतनमान रू० 67,700-2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री आजाद सिंह की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बतायें अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री आजाद सिंह रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री आजाद सिंह को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री आजाद सिंह द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री आजाद सिंह द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री आजाद सिंह वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से कार्यभार प्रमाणक हस्ताक्षरित कराकर अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निवर्हन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1275/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यैक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1276/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06

दिनांक : 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री अमित कुमार, सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०), (सातवें वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल-11) को अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) (सातवें वेतनमान रू० 67,700-2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री अमित कुमार की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बतायें अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री अमित कुमार रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री अमित कुमार को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री अमित कुमार द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री अमित कुमार द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री अमित कुमार वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से कार्यभार प्रमाणक हस्ताक्षरित कराकर अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निवर्हन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक


पत्रांक: 1276/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-06 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1277 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-06

दिनांक : 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री राकेश यादव, सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०), (सातवें वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल-11) को अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) (सातवें वेतनमान रू० 67,700-2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री राकेश यादव की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बताये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री राकेश यादव रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री राकेश यादव को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री राकेश यादव द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री राकेश यादव द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री राकेश यादव वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से कार्यभार प्रमाणक हस्ताक्षरित कराकर अधिशासी अभियन्ता (वि० एवं या०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निवर्हन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1277 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-06 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यैक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)